

BY HAND

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैंडर कन्ट्रोल यूनिट)

दिनांक : इ-हस्ताक्षरित

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल-6 (₹35,400 – 1,12,400) में एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में कार्यकारी सहायक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर **अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव** दिया जाता है:-

The following candidates are hereby offered appointment to the post of Executive Assistant, CGST (Group 'B', Non-Gazetted) on provisional basis, in the jurisdiction of the Commissionerates under the Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise and Customs (Jaipur Zone), Jaipur (Rajasthan), in Pay Level-6 (₹35,400–1,12,400), along with such allowances as may be sanctioned by the Government of India from time to time:

S. No.	Name of Candidate (S/Shri/Ms.)	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date	Name of the Commissionerate Allocated
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	YOGESH SINGH SHEKHAWAT	28-06-1999	UR	Jaipur GST & CX/EXECUTIVE ASSISTANT/44036 Dated 17.09.2026	CCO, Jaipur

उपरोक्त नियुक्ति अनुलग्नक - 'अ' में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी :-

The above appointment shall be subject to the terms and conditions mentioned in Annexure- 'A' and the following conditions:

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव अनंतिम (Provisional) है तथा इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके चरित्र एवं अनुप्रमाणन / पुलिस सत्यापन और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ई-डब्ल्यू-एस प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा, यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताए समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

The above offer of appointment is provisional and is being issued subject to the condition that, if any adverse fact comes to the notice of the Department, either during the verification of the Character and Antecedent/ Police Verification and the documents submitted by the candidate, such as proof of date of birth, educational qualifications, caste certificate, EWS certificate, medical/health certificate, disability certificate, etc., or otherwise, his/her services in the

Department shall be terminated without any notice or assigning any reason thereof. The Department shall also initiate further action, as per rules, under the relevant provisions of the Bhartiya Nyay Sanhita, 2023, for furnishing any false information or false/fraudulent certificate.

2. उनका कार्यकारी सहायक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

He/she shall be on probation for a period of two years from the date of appointment to the post of Executive Assistant. He/she shall be required to qualify the prescribed departmental examination within two years for the purpose of confirmation; failing which, action may be taken in accordance with the Departmental Examination Rules.

3. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt. (C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 9 एवं केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.03.2024 के अनुसार अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के पश्चात एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण (Mandatory Induction Training) से गुजरना होगा, जिसे उत्तीर्ण करना अगली पदोन्नति के लिए आवश्यक होगा।

In terms of Para 9 of DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt. (C) dated 11.03.2019 and CBIC, New Delhi letter dated 19.03.2024, the candidates shall be required to undergo Mandatory Induction Training after joining duty. Successful completion of the said training shall be essential for their further promotion.

4. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt. (C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है: -

In terms of Para 15 and 18 of DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt. (C) dated 11.03.2019, the period of probation may, in the following circumstances, be extended by such period or periods, subject to the condition that the total period of probation shall not exceed twice the prescribed period of probation, in the following cases: —

(क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना,

Failure to undergo the prescribed training;

(ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना, या

Failure to qualify the departmental examination; or

(ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।

Failure to complete 75% of the prescribed period of probation on account of availing any kind of leave.

5. उनकी कार्यकारी सहायक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

Their seniority in the cadre of Executive Assistant shall be determined in accordance with the rules/instructions issued by the Government of India from time to time.

6. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं ।

They shall be liable to be transferred to any place within the State of Rajasthan.

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 7246/2026 में दिनांक 23.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में, दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका

(सिविल) संख्या 1733/2026, प्रमोद कुमार राय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, के विचाराधीन विवाद (Lis) के विषय से संबंधित कोई भी आवंटन/नियुक्ति उक्त रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

In compliance of the order dated 23.02.2026 of Hon'ble Supreme Court of India in SLP (C) No. 7246/2026, any allocation / appointment made which are subject matter of the **lis** under consideration of the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) No. 1733/2026 titled as Pramod Kumar Rai & Others Vs. Union of India & Ors, shall be subject to the final outcome of the said Writ Petition.

8. यदि वे संलग्न अनुलग्नक - 'अ' एवं उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक 18.10.2026 को या इससे पहले उपरोक्त पैरा-1 में दी गई तालिका के कॉलम संख्या 06 में उनके नाम के सामने दर्शाये गये कार्यालय/आयुक्तालय में कार्यकारी सहायक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

If they accept the terms and conditions contained in Annexure- 'A' and those mentioned above, they shall submit their joining report in the Office/Commissionerate mentioned against their name in Column No. 06 of Table in para 1 above for the post of Executive Assistant on or before 18.10.2026. In the event of failure to do so, this offer of appointment shall be deemed to have been cancelled. No travelling allowance shall be admissible for joining the post.

संलग्नक / Encl. : - अनुलग्नक- 'अ' / Annexure 'A'

Digitally signed by
Amita Singh
Date: 18-09-2026
16:54:21

(अमिता सिंह / Amita Singh)

प्रधान आयुक्त/ Principal Commissioner

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. निजी प्रति। / Personal Copy।
2. अवर सचिव (Ad-IIIB), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र CBIC-10A12/1/2025-Ad-IIIB SECTION-CBEC दिनांक 03-07-2026 एवं ईमेल दिनांक 03-07-2026 के संदर्भ में प्रेषित।

Under Secretary (Ad-IIIB), Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Ground Floor, HUDCO Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi – 110066, with reference to his letter CBIC-10A12/1/2025-Ad-IIIB SECTION-CBEC dated 03.07.2026 and e-mail dated 03.07.2026.

3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।

The Principal Commissioner/Commissioner, CGST & Central Excise, Jaipur/Alwar/Jodhpur/Udaipur Commissionerates/Audit Jaipur/Audit Jodhpur/Appeals Jaipur/Appeals Jodhpur/Customs, Jaipur.

4. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर।

The Superintendent (Administration/Vigilance), Office of the Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Jaipur Zone, Jaipur.

5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (स्था./मु.) / अधीक्षक(सत.), सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर /अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
The CAO/DDO/Administrative Officer (Estt./HQ)/Superintendent (Vigilance), CGST & Central Excise Commissionerates, Jaipur/Alwar/Jodhpur/Udaipur/Audit Jaipur/Audit Jodhpur/Appeals Jaipur/Appeals Jodhpur/Customs, Jaipur.
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, जयपुर।
Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise and Customs, Jaipur.
7. निजी पत्रावली/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाइल/नोटिस-बोर्ड/वरीयता सूची।
Personal File/Service Book/Guard File/Notice Board/Seniority List.
8. महासचिव, मंत्रालयिक अधिकारी संघ, जयपुर।
General Secretary, Ministerial Officer Association, Jaipur.
9. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
Webmaster, CGST & Central Excise, Jaipur, for uploading the same on the departmental website.

“अनुलग्नक ‘अ’”/Annexure ‘A’

कार्यालय मुख्य आयुक्त /Office of the Chief Commissioner

सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर

CGST and Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

सेवा की शर्तें / Conditions of Service

1. किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो-

For appointment to any Central Government service or post, a candidate shall either—

- (क) भारत का नागरिक हो, या
be a citizen of India; or
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
be a subject of Nepal; or
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
be a subject of Bhutan; or
- (घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
be a Tibetan refugee who came to India before 1st January, 1962, with the intention to permanently settle in India; or
- (ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।
be a person of Indian origin who has migrated to India from Pakistan, Burma, Sri Lanka, Kenya, Uganda, or the United Republic of Tanzania in East African countries, with the intention to permanent settle in India.

किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबंधित उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो।

Provided that a candidate belonging to any of the categories (b), (c) and (d) above shall have been issued a certificate of eligibility by the Government of India.

2. पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

If they have been employed under the Government of India or any State Government during the preceding three years, they shall furnish full particulars thereof in writing to this office. If they are presently in Government service, they shall also furnish complete details of their existing employment in writing to this office and shall be required to resign from their present department before joining this office. They shall submit the acceptance of resignation to this office before joining duty. If any candidate fails to disclose the aforesaid facts, he/she shall be solely responsible for all consequential action that may be taken in the matter in future.

3. उन्हें कार्यग्रहण के समय दिए गए फॉर्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :-

“मैं घोषणा करता/करती हूँ कि: -

At the time of joining, they shall be required to furnish the following declaration in writing in the prescribed form: —

“I hereby declare that: -”

- (क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।
I am married/unmarried.
- (ख) मैं विवाहित हूँ और मेरा / मेरी एक ही जीवित पति / पत्नी है।
I am married and have only one living spouse.

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाती है तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।

I solemnly declare that the information furnished above is true and correct. I am aware that if this declaration is found to be false after my appointment, I may be liable to be dismissed from service.

4. उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
They are hereby cautioned that furnishing any false information in respect of any matter shall render them liable for disciplinary action.
5. उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू किए गए अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।
They should also note that they shall be required to comply with the disciplinary and conduct rules in force in the Department and applicable to all Government employees from time to time.
6. किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।
The Head of Department/Head of Office shall have full discretion to forward or withhold forwarding of any application submitted by them for appointment to any other Department, Office or elsewhere.
7. उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
They shall be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India.
8. उनको कार्यग्रहण के समय दिए गए फॉर्म में वचन देना होगा :-
At the time of joining, they shall be required to furnish the following undertaking in the prescribed form: —
“मैं सीजीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय-समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।”
“I agree to serve anywhere within the jurisdiction of CGST, Central Excise and Customs, Jaipur Zone, Jaipur, as may be constituted from time to time.”
9. उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।
Their continuance in the Department shall be subject to their character and conduct being found satisfactory.
10. उनको विभागीय परीक्षा नियमावली के तहत निर्धारित विभागीय स्थायीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
They shall be required to qualify the prescribed Departmental Examination for confirmation in service, in accordance with the Departmental Examination Rules.
11. उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है, जब तक कि संबंधित जाति/वर्ग/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई-डब्ल्यू-एस/दिव्यांगता से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाएँ बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
They should also note that their appointment shall remain provisional until the relevant caste/category/disability certificate is verified through the prescribed channel. If, upon verification, it is found that the claim of a candidate regarding SC/ST/OBC/EWS/PwBD status is false or incorrect, his/her services shall be terminated forthwith, without prejudice and without assigning any further reason, and action may be initiated under the relevant provisions of the BNS, 2023 for furnishing such false/fraudulent certificate.
12. केन्द्र सरकार की सेवा में नियुक्त होने वाले सभी नव-नियुक्त कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के पत्र F. No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) दिनांक 22.12.2003 के माध्यम से लागू की गई अंशदायी पेंशन प्रणाली (Contributory Pension System) अथवा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना के माध्यम से लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) में से किसी एक के अंतर्गत आच्छादित होने का विकल्प प्राप्त होगा।
All new entrants, who join the Central Government Service will have option either to be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F. No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003 or Unified Pension Scheme introduced vide Notification dated 24.01.2025 by the Ministry of Finance (Department of Financial Service), New Delhi.